

15/10/2024 आज यह पत्रावली प्रशासन गाँवों के संग

अभियान-2021 के तहत ग्राम पंचायत कांफ्रेंस
में आयोजित कैंप में पेश हुई। पत्रावली पर
उपस्थित हस्तावेजों एवं तहसीलदार खैतड़ी
से प्राप्त जांच रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अप्रत्यक्ष
रूप से मंजूर किया गया। तहसीलदार खैतड़ी
की रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीणों का नाम राशन
कार्ड में जरूरी विकल्प पत्र आया है। प्रकरण
श-राशन अधिनियम 1956 की धारा 136 के
तहत बनना नहीं पाया जा रहा है। सिवाय
ग्रामीणों के ग्राम पत्र स्वीकार किया जाना
न्यायोचित नहीं होगा है। अतः
ग्रामीणों के ग्राम पत्र स्वीकार किया जाना
है। निर्णय मंजूर काम में सुनाया गया।
पत्रावली फलतः शुभ व दर्शनम्बा से
कम लेखा दाखिल दर्ज है।

उपखण्ड/अधिकारी
श्री डी. वि. सुब्बन् (राज.)

